कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 428 /रामपुर/34003/2018, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 24 , 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : रामपुर में बिलासपुर-अहरो मार्ग (MDR-53) किमी0 चैनेज 15.018 की दायीं पटरी पर ग्राम-अहरो के खसरा सं0-318 व 321 पर इंडियन ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0726305 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक-520/14-1, दि0 13.08.2018

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-

1- वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है। ऑनलाइन पार्ट-2 में प्रमाण-पत्र अपलोड कर मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें। वचनबद्धता मान्य नहीं है।

2- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की Kml File में वनावरण प्रचुर मात्रा में प्रदर्शित हो रहा है, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है। उक्त के अतिरिक्त टोपोशीट में चिन्हित स्थल व Kml File में चिन्हित स्थल आपस में मेल नहीं खाते हैं। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कर टोपोशीट में चिन्हित कर, उक्त स्थल का Digital map, स्थल चिन्हित टोपोशीट व Kml File ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि न तो आपके स्तर से न ही प्रभागीय निदेशक, रामपुर द्वारा Kml File को देखने का प्रयास किया गया। प्रभागीय निदेशक स्वयं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण करके उपयुक्त स्थल का चयन कर, वांछित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर, वांछित अभिलेख आपके माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

भवदीय,

25/8

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 428 / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वांछित सूचनायें व अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर, वन संरक्षक, मुरादाबाद को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इंडियन ऑयल कार्पो0 लि0 (एम.डी.) 35-ए, कमला नेहरू मार्ग, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।